न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **32/19 (वाद)**

GCMS No. : 2019/00101

1. श्री वेणीराम पिता तुलसा डांगी मृतक :–
1/1 श्रीमती गमेरीबाई पत्नी वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
1/2 श्री शिवलाल पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
1/3 श्री वालाराम पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
1/4 श्री नारायणलाल पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
2. श्री गोविन्दा पिता तुलसा डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भीमराज पिता नानजी डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
2. मु. कंकु बेवा नानजी डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.01.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्दवेल तहसील मावली की आराजी नम्बर 1452, 1453 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 1121, 1122, 1123 हैं।
2. उक्त आराजीयात के खातेदार धन्ना, खेमा, जगन्नाथ पिता नानजी डांगी थे, जिन्होने तारीख 19.03.1958 को कमला पिता भजा, तुलसा पिता भजा, को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तबसे कमला पिता भजा व तुलसा पिता भजा इस पर काबिज चले आये है। कमला पिता भजा ने अपना हिस्सा अदला–बदली में नानजी पिता भजा को दे दिया जो फर्द इन्तकाल नम्बर 150 से नानजी पिता भजा के नाम दर्ज हो गया लेकिन तुलसा पिता भजा जी डांगी ने अपना हिस्सा अदला–बदली में नानजी पिता भजा जी को नहीं दिया लेकिन कथित फर्द इन्तकाल में 150 से तुलसा पिता भजा जी का आराजी नम्बर 1453 का हिस्सा भी बिना किसी आधार के नानजी पिता भजा जी के नाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। तुलसा पिता भजा ने आ. नम्बर 1453 का अपना हिस्सा नानजी पिता भजा को अदला–बदली में दिया है न इसके अदला–बदली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

नानजी पिता भजा से उसकी कोई आराजी ली है न नानजी ने अपनी कोई भूमि आराजी नम्बर 1453 के बदले में तुलसा पिता भजा को दी है। जिससे आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से पर तुलसा पिता भजा जी डांगी का कब्जा चला आया है व तुलसा पिता भजा जी की मृत्यु के बाद तुलसा जी के दोनों पुत्र वेणीराम व गोविन्दा वादीगण के कब्जे में चला आ रहा है। नानजी पिता भजा जी की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस प्रतिवादी नम्बर–1, 2 है जिनके नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गयी है जो वादीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है।

3. कि उक्त आराजी नम्बर 1452 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि में तुलसा पिता भजा का 1/2 हिस्सा था जो तुलसा पिता भजा की मृत्यु बाद वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत से दर्ज हो चुका है जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं।

4. कि आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा नानजी पिता भजा जी के नाम बिना किसी आधार के दर्ज किया गया है तथा नानजी की मृत्यु बाद प्रतिवादी नम्बर 1, 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि नानजी के नाम आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का आधा हिस्सा जो कमला पिता भजा का था वो हिस्सा नानजी पिता भजा जी के नाम दर्ज होना चाहिए लेकिन तुलसा का हिस्सा भी गलती से दर्ज होने से आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि नानजी के नाम गलत दर्ज की है व नानजी की मृत्यु बाद नानजी के वारिस प्रतिवदी नम्बर 1, 2 के नाम दर्ज कर दी है जो गलत है। आराजी नम्बर 1453 का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1, 2 के नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक है जिसके लिए वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1, 2 को वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं कराया व उल्टा कहा कि जमीन हमारे नाम पर है इसलिए अब फसल नहीं बोने देगें व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगें जिस पर वादीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर पता किया तो वादीगण का नाम आराजी नम्बर 1453 में दर्ज नहीं होने से पुराना रेकर्ड प्राप्त किया व पुराना रेकर्ड की नकलें निकलवायी तो मालुम हुआ कि फर्द इन्तकाल नम्बर 150 से तुलसा पिता भजा का हिस्सा भी बिना किसी आधार के नानजी पिता भजा के नाम दर्ज कर दिया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

5. कि उक्त आराजी नम्बर 1453 के 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1, 2 काबिज चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में आराजी नम्बर 1453 सम्पूर्ण प्रतिवादी नम्बर 1, 2 के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नम्बर 1, 2 वादीगण को काश्त करने से रोकने लग गए हैं व धमकी दे रहे हैं कि जमीन हमारे खाते हैं हम किसी को भी विक्रय कर देगें, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकोगें जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1, 2 को उक्त आराजी पुनः वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया ऐसी अवस्था में वादीगण को आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि में अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा करा पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है वरना प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की भूमि को भी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगें व वादीगण को जबरन बेदखल कर देगें जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी मुकदमेबाजी बढेगी।

6. कि वादकारण तारीख जुलाई 2018 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि जमीन हमारे खाते है अतः अब फसल नहीं बोने देगें व जबरन बेदखल कर देगें व अन्य को जमीन विक्रय हस्तान्तरण कर देगें। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सेटलमेन्ट के दौरान इस तरह का गलत इन्द्राज करने का अधिकार नहीं है। कथित इन्द्राज बिना अधिकार के है जो वादीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है।

7. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा नांदवेल तहसील मावली की आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद कराया जावे। कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वादीगण को आराजी नम्बर 1453 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोकें तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें तथा जबरन बेदखल नहीं करें तथा अन्य किसी को विक्रय हस्तान्तरण [illegible]। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री वेणीराम पिता तुलसा, पीडब्ल्यू 2 श्री गोविन्दा पिता तुलसा, पीडब्ल्यू 3 श्री धनराज पिता कना, पीडब्ल्यू 4 श्री हीरा पिता लालु, पीडब्ल्यू 5 श्री वालाराम पिता वेणीराम के शपथ पत्र पेश किये गये। गवाह वालाराम पिता वेणीराम द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

9. अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम नान्दवेल नकल जमाबंदी खेवट खतौनी पर्दश 3 पर साबिक आराजी नम्बर 1022 1121, 1122, 1123, 1127 अंकित है। जो श्री धना, खेमा, जगन्नाथ पिता नानजी डांगी के नाम दर्ज होना प्रतित होती है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी नम्बर 1121, 1122, 1123 को खातेदार धन्ना, खेमा, जगन्नाथ पिता नानजी डांगी द्वारा आराजी नम्बर 19.03.1958 को कमला पिता भजा व तुलसा पिता भजा द्वारा क्रय कर लिया गया। कमला पिता भजा ने अपना हिस्सा अदला बदली में नानजी पिता भजा को दे दिया फर्द इन्तकाल नम्बर 150 से नानजी पिता भजा के नाम दर्ज हो गया लेकिन तुलसा पिता भजा द्वारा अपना हिस्सा अदला बदली में नही देने पर भी उक्त नामान्तरकरण से उसका हिस्सा भी नानजी पिता भजा के नाम दर्ज हो गया परन्तु मुख्य बिन्दु यह है कि उक्त नामान्तरकरण की प्रति वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रदर्श नही करवाई गई। फिर भी वादी द्वारा भू–प्रबंध विभाग का खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श 5 प्रस्तुत किया गया। जिसके कॉलम संख्या 2 अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1092, 1121 दर्ज थी। जिनके कॉलम संख्या 3 के अनुसार हाल आराजी नम्बर 1440, 1453 बने जो कॉलम संख्या 4 अनुसार कमला पिता भजा डांगी के नाम दर्ज थी। जो कॉलम संख्या 5 अनुसार नानजी पिता भजा डांगी के नाम दर्ज किया गया। कॉलम संख्या 7 में अंकित अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purada
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारो द्वारा जाहिर किया गया है कि हम तीनो भाईयो ने इक्कठी एक जगह जमीन करने के लिए आपसी रद्दोबदल करी हैं और कुए पर भी काबिज है। अतः रजाबंदी व भूमि करण के लिहाज से खाना संख्या 6 के अनुसार इन्द्राज करने की स्वीकृति फरमावें। इसी अनुसार कॉलम नम्बर 8 में मुताबिक रजाबन्दी इन्द्राज करने की मंजूरी दी गई। कॉलम संख्या 10 में खातेदारों के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि का रद्दोबदल खातेदारों की सहमति के आधार पर सम्वत् 2029 में अर्थात् लगभग 50 वर्ष पूर्व किया गया। वादीगण का कथन है कि वादीगणों के पूर्वज द्वारा आराजी नम्बर 1453 का रद्दोबदल नहीं किया गया। न्यायालय इस कथन से सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि आराजी नम्बर 1440 व 1453 दोनो ही आराजीयात कमला, तुलछा पिता भजा डांगी के नाम दर्ज थी। उक्त दोनो आराजीयात ही रद्दोबदल से नानजी पिता भजा डांगी के नाम दर्ज हुई हैं परन्तु वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 1440 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण आराजी नम्बर 1440 नानजी पिता भजा डांगी के नाम दर्ज होने से संतुष्ट हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुलछा पिता भजा द्वारा दोनो आराजीयात के सम्बन्ध में ही अदला बदली की गई हैं। रद्दोबदल के पश्चात् वादीगण का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। वादग्रस्त आराजीयात नानजी पिता भजा डांगी के नाम खातेदारो की सहमति के आधार पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व दर्ज की गई हैं। अतः उक्त आराजीयात में हस्तक्षेप करना न्यायालय उचित नहीं समझता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वेणीराम पिता तुलसा डांगी मृतक :–

1/1 श्रीमती गमेरीबाई पत्नी वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

1/2 श्री शिवलाल पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

1/3 श्री वालाराम पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

1/4 श्री नारायणलाल पिता वेणीराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

2. श्री गोविन्दा पिता तुलसा डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भीमराज पिता नानजी डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
2. मु. कंकु बेवा नानजी डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 32/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00101

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested